न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—295/2017/225 आर.टी.एक्ट (2017/00295)

1. श्री रामेश्वर पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति जाचक, निवासी ग्राम गोवलिया,(पुष्कर) हाल निवासी—हरिओम फैक्ट्री पीपलाज, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र रामचंद्र जाति जाचक, निवासी ग्राम श्यामपुरा—किराप, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
2. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामचंद्र जाति जाचक, निवासी ग्राम श्यामपुरा—किराप, तहसील मसूदा, जिला अजमेर। (नाम तर्क)
3. श्री पूरणमल पुत्र मोहन जाति जाचक, निवासी ग्राम किराप, हाल फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
4. श्रीमती कमला पुत्री श्री रामपाल जाति जाचक, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर। (तलबी बंद)
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.10.2017 राजस्व वाद संख्या 33/2011

उपस्थितः—

1. श्री शौकिंदलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री समीर अहमद, अरमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5, 6.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 11.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 33/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट एवं अन्य के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो वादी द्वारा उक्त वाद की ताईद में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 610 खसरा संख्या 3625 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी 3626 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी 3630 रकबा 03 बीघा, 3636 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 3637 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा 3639 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किता 8 कुल रकबा 18 बीघा ग्राम किराप पटवार क्षेत्र किराप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किराप, तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित है, जो वादग्रस्त आराजीयात वाद एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जो प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने अपने निहित 1/3 हिस्से का एक सहमति पत्र दिनांक 30.12.2002 को प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया किंतु पर्याप्त स्टाम्प पर नहीं होने से राजस्व अभिलेख में दाखिल नहीं हो पाया, किंतु आराजी बाबत अप्रार्थी संख्या 2 की नियत बदल गई है इसलिए वादी के कब्जे काश्त दखलंदाजी एवं रहन बैचान करने में आमादा है, इसलिए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे, जिस पर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया, अप्रार्थी/अपीलांट न्यायालय में जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कथनों को इंकार करते हुए अपनी ओर से जवाब पेश किया गया एवं इस आराजी बाबत न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2003 रामस्वरूप बनाम लक्ष्मण को दिनांक 28.05.2009 को वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया, उक्त वाद में स्वयं वादी संख्या 2 मूर्तिब है जो तत्पश्चात प्रकरण में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मसूदा दिनांक 11.10.2017 अपीलग्रस्त आदेश पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 33/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने आदेश पारित करने से पूर्व सम्पूर्ण दस्तावेज का बिना अवलोकन किए ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किए अपीलग्रस्त आदेश पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 11.10.2017 को राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा बनाए गए प्रावधान के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, क्यों कि स्वयं वादी द्वारा इस बाबत पूर्व में वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व वाद संया 65/2003 रामस्वरूप बनाम लक्ष्मण को दिनांक 28.5.2009 को वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया गया उक्त वाद में स्वयं वर्तमान रेस्पोडेंट मदनलाल वादी संख्या 2 मुर्तिब है, उक्त वाद पत्र स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व0 श्री लक्ष्मण पुत्र गिरधारी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व अभिलेख एवं प्रावधानों के अनुसार न पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 अवैधानिक कृत्य बढावा देने के लिए आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रकरण अप्रार्थी/अपीलांट के पिता की सहमति पत्र के आधार पर आराजी के बाबत खातेदारी पाने के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि वादी/रेस्पोडेंट सयंख्या 1 इस बाबत पूर्व में न्यायालय द्वारा वाद ही पूर्व में खारिज होने बाद भी पुनः वादी के द्वारा खातेदारी के बाबत वाद पेश किया है जो अभिकथन विरोधाभासी अंकित किए जिसका भली भांति अवलोकन किए बिना ही विरोधाभाषी आदेश पारित कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र अंतर्गत धारा 212 अभिकथनों को भली भांति अवलोकन किए बिना ही आदेश पारित कर दिया, क्योंकि राजस्व अभिलेख सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार अपीलांट के विरूद्ध इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जो मात्र संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश जो निर्णय की पकरभाषा में नहीं आता है जो अपीलांट हक व अधिकारों विपरीत जाकर व दस्तावेज के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद ही निर्णित हो चुका है जो प्रार्थना पत्र में जो अभिकथन विरोधाभाषी अंकित किए, जिसका भली भांति अवलोकन किए बिना ही विरोधाभाषी आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश की आड में अपीलांट को हैरान परेशान कर स्वयं की खातेदारी की भूमि से महरूम करने पर विपक्षी आमादा है, जबकि आदेश कानून की मंशा के विधि विरूद्ध आदेश कानूनन शून्य प्रभावी है जो अपीलांट पर किसी भी तरह लागू नहीं होता है मात्र कानून का दूरूपयोग करने में बढावा व अपीलांट को आर्थिक व मानसिक क्षति कारित करना है उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 33/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आर0आर0डी(11) 2003 पेज 533, आर0आर0टी(1) 2007 पेज 103, आर0आर0टी(1) 2011 पेज 111 आर0आर0टी(2) 2016 पेज 1147।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है लेकिन मौके पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 के पिता स्व0 श्री लक्षमण पुत्र श्री गिरधारी ने दिनांक 30.12.2002 को एक सहमति पत्र द्वारा जो मौजा किराप में कृर्षि भूमियां स्थित है उसमें अपना 1/3 हिस्सा प्रार्थी के हक में त्याग कर दिया है। इसी प्रकार प्रार्थी का उक्त भूमि स्वयं का हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 02 का हक व हिस्सा निहित हो गयां है लेकिन उपरोक्त सहमति पत्र पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं होने के कारण प्रार्थी के हक में दाखिल खारिज नहीं खोला जा सका, अप्रार्थी संख्या 02 के पिता लक्ष्मण पुत्र गिरधारी की मृत्यु हो चुकी है इस कारण उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर नियत बद्ध हो गयी है उपरोक्त सहमति पत्र दिनांक 30.12.2002 को मानने से इंकार कर दिया एवं उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर अन्यत्र व्यक्ति को बेंचान करने पर आमादा हैं, इसमें अप्रार्थी संख्या 01, 03 भी अप्रार्थी संख्या 02 की मदद कर रहें जबकि अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

संख्या 01 व 03 भी अच्छी तरह से जानते है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का ही एकाकी कब्जा व उपयोग चला आ रहा है व अप्रार्थी संख्या 02 के पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मण पुत्र गिरधारी ने अपना हक व हिस्सा उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी के हक में त्याग दिया है। प्रार्थी दिनांक 04.04.2001 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 03 से निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी सहमति पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की कार्यवाही करवा दे तो इन्कार हो गये और एलानिया कहा कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 अपने हिस्से को अन्यत्र को बेंचान व हस्तातंरण कर तृतीय पक्षकार को कब्जा करवा देगें जबकि अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 व प्रार्थी के बीच वादग्रस्त भूमियों का ना तो अंतिम रूप से विभाजन हुआ है एवं संयुक्त आराजी है जिसमें सम्पूर्ण हिस्से का बेंचान नहीं किया जा सकता और ना ही तृतीय पक्षकार का वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा ही करवाया जा सकता हैं एव ना ही प्रार्थी एकाकी कब्जे व उपभोग दखंलअंदाजी कर सकते हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात एवं उक्त बाबत न्यायालय में पूर्व में भी वाद चला था एवं दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी की कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी थी लेकिन अप्रार्थीगण की नीयत बद हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर अन्यत्र व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है, इसलिए वाद कारण उत्पन्न होने से वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 11.10.2017 को ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। यदि राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी एवं वाद की बाहुल्यता भी बढ़ेंगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी भी पक्षकार को क्षति कारित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट एवं अन्य के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो वादी द्वारा उक्त वाद की ताईद में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 610 खसरा संख्या 3625 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी 3626 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी 3630 रकबा 03 बीघा, 3636 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 3637 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा 3639 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा ग्राम किराप पटवार क्षेत्र किराप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किराप, तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

है, जो वादग्रस्त आराजीयात वाद एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जो प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने अपने निहित 1/3 हिस्से का एक सहमति पत्र दिनांक 30.12.2002 को प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया किंतु पर्याप्त स्टाम्प पर नहीं होने से राजस्व अभिलेख में दाखिल नहीं हो पाया। जिस पर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया, अप्रार्थी/अपीलांट न्यायालय में जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कथनों को इंकार करते हुए अपनी ओर से जवाब पेश किया गया एवं इस आराजी बाबत न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2003 रामस्वरूप बनाम लक्ष्मण को दिनांक 28.05.2009 को वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया, उक्त वाद में स्वयं वादी संख्या 2 मूर्तिब है जो तत्पश्चात प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा दिनांक 11.10.2017 आदेश पारित कर दिया। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त हस्तगत प्रकरण में पूर्व में ही न्यायालय द्वारा यह प्रकरण अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि अनरजिस्टर्ड स्टाम्प पत्र पर किए गए समझौते की कम्पलायंस विशेष अनुतोष के तहत केवल सिविल न्यायालय ही कर सकता है। सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष के तय होने पर ही राजस्व न्यायालय इस संबंध में घोषणा कर सकते है, राजस्व न्यायालयों को अनरजिस्टर्ड स्टाम्प के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार नहीं है, ऐसे में रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार को पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध पूर्व में भी दावा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जिसके तथ्य छिपाकर न्यायालय में उपस्थित हुए है जिससे स्वतः सिद्ध है कि प्रत्यर्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अस्थाय़ी निषेधाज्ञा को प्रमुख तीनों मूलभूत बिंदुओं से परे है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तीनो मूलभूत सिद्धान्त यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन नहीं कर, उक्त अविधिक आदेश पारित किया है।अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है, अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 33/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner